न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 03/2022

प्रार्थीगण –	***बनाम***	**अप्रार्थीगण–**
हनीफखां पुत्र इब्रेखां जाति मुसलमान निवासी सादुलपुरा, बड़नावा जागीर तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर		1. सरपंच, ग्राम पंचायत बड़नावा जागीर, तहसील पचपदरा 2. वली खां पुत्र सिदुखां जाति मुसलमान निवासी सादुलपुरा, बड़नावा जागीर, तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 3. मुबारकखां पुत्र रिमजेखां जाति मुसलमान निवासी नवोड़ाबेरा तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

निगरानी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 78 दिनांक 20.09.2018 जो अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत बड़नावा जागीर द्वारा जारी किया गया ।

उपस्थिति :–

1. श्री सुनील के मेराजा, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री कमाल खान, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से अनुपस्थित।
3. श्री केसराराम बिश्नोई, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अनुपस्थित।
4. अप्रार्थी संख्या 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:40:13 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक : 20.12.2022

1. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी [illegible] के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी सं. 1 ग्राम पंचायत [illegible] द्वारा अप्रार्थी सं. 2 [illegible] में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत ग्राम [illegible]वा जागीर में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 78 दिनांक

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

20.09.2018 जारी किया गया। इस भूखण्ड का नाप एवं क्षेत्रफल पट्टा के संलग्न अनुसूची में वर्णित अनुसार 260.66 वर्ग गज दर्शाया गया है। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू पर राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत जांच करते हुए अपास्त करने हेतु उक्त प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं ग्राम पंचायत बड़नावा जागीर का प्रश्नगत अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

3. प्रार्थी की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि प्रार्थी के करीबन 40 वर्ष से अधिक पुराने कब्जे एवं रहवास का आलौच्य परिसर ग्राम बड़नावा जागीर में अवस्थित है जिस पर निगरानीकर्ता द्वारा भौतिक कब्जा स्थापित कर लिया गया था। अप्रार्थी संख्या 2 ने आलौच्य पट्टा के वास्तविक तथ्य छिपाकर एवं गलत रूप से प्रस्तुत कर अप्रार्थी संख्या 1 के मार्फत आलौच्य पट्टे को उप पंजीयक कार्यालय पाटोदी में दिनांक 11.01.2019 को पंजीबद्ध करवा लिया है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में 50 वर्षों से अधिक समय का कब्जा होने एवं मौके पर मकान बना होने बाबत कोई तथ्य पेश नहीं किये हैं। करीबन 4 वर्ष पूर्व भी अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा विवादित भूखण्ड पर अवैध कब्जा स्थापित करने का प्रयास किया था। तत्समय गांव में मौजीज व्यक्ति, सरपंच, पूर्व सरपंच व स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा समझाईश करने पर भी निगरानीकर्ता को ही संरक्षण दिया गया था। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी आलौच्य पट्टा विक्रय के क्रम में नहीं दिया जाकर निःशुल्क आवंटित किया गया है। ऐसी स्थिति में पट्टे में वर्णित शर्त के अनुसार आवंटी एवं उनके वारिसों को किसी भी व्यक्ति को भूमि अंतरण करने का अधिकार नहीं होगा, किन्तु अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त शर्त का खण्डन करते हुए आलौच्य पट्टे के आधार पर वादग्रस्त

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:40:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

आराजी का अन्तरण अप्रार्थी संख्या 3 के पक्ष में दिनांक 23.06.2021 को कर उसका पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय पाटोदी में दिनांक 24.06.2021 को करवा लिया है। आलौच्य पट्टे की शर्त अनुसार आवंटी के परिवार के पास कहीं भी कोई घर या निवास स्थान नही होना चाहिए और पूर्व भूमि पर वर्ष 2003 तक अस्थाई मकान अथवा कच्चे निवास के रूप में आबादी भूमि पर कब्जा होना चाहिए, जबकि अप्रार्थी संख्या 2 का पक्का रहवासी मकान ग्राम पंचायत बड़नावा जागीर में वादग्रस्त भूखण्ड के अलावा मौजूद है जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 करीब 30 वर्षों से रहवास करता आ रहा है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने के आवेदन में विवादित भूखण्ड पर अपना कब्जा होना जाहिर किया है किन्तु प्रकरण में आलौच्य भूखण्ड का कोई नाप–पड़ौस अंकित नहीं किया है और न ही आवेदन के साथ नियमानुसार 25 रूपये शुल्क के रूप में जमा करवाये हैं। अधिवक्ता प्रार्थी ने यह भी निवेदन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने में विधिक प्रक्रिया का पालन नहीं किया है। ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने में छपी–छपाई आदेशिका पर बिना कोई अंकन किये एवं मौका निरीक्षण हेतु त्रिस्तरीय कमेटी की नियुक्ति किये बिना ही अप्रार्थी संख्या 2 के नाम व तारीखों का इन्द्राज कर नियम विरूद्ध आलौच्य पट्टा जारी किया है जो पूर्णतया अवैध एवं निरस्त योग्य है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत यह निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत बड़नावा जागीर द्वारा जारी आलौच्य पट्टा निरस्त फरमाया जावे।

4. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया, जिससे पाया जाता है कि ग्राम पंचायत बड़नावा जागीर के समक्ष अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा दिनांक 20.08.2019 को प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर कब्जेशुदा भूखण्ड का नियम 157 में

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:40:13 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

विनियमन करने हेतु निवेदन किया है। आलौच्य पट्टा विलेख में मिसल दायरा दिनांक 20.08.2018 एवं पट्टा जारी करने की दिनांक 20.09.2018 अंकित है। मौका निरीक्षण कमेटी के गठन की आदेशिका भी दिनांक 20.08.2019 अंकित है। पंचायत बैठक की कार्यवाहियों के रजिस्टर में दिनांक 20.08.2018 की बैठक कार्यवाही में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष मे पट्टा जारी करने का आवेदन प्राप्त होना उल्लेखित किया गया है। इस प्रकार पट्टा पत्रावली एवं पंचायत बैठक कार्यवाही रजिस्टर के इन्द्राजात का आपस में मिलान नहीं हो रहा है तथा इस संदिग्धता से जाहिर होता है कि आलौच्य पट्टा गलत तरीके से पुरानी तिथियों में जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 के आलौच्य भूखण्ड पर पुराने कब्जे के संबंध में कोई दस्तावेजी सबूत पत्रावली में उपलब्ध नहीं हैं। ग्राम पंचायत की ओर से गठित मौका कमेटी के निरीक्षण प्रपत्र में भी कब्जे के बाबत कोई विशिष्ठ उल्लेख नहीं है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने से पूर्व राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियम 141 से 157 की प्रावधानों की घोर अवहेलना की है। इस प्रकार आलौच्य पट्टा विलेख से संबंधित ग्राम पंचायत के दस्तावेजों के अवलोकन एवं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रकट तथ्यों से अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत बड़नावा जागीर द्वारा आलौच्य पट्टा जारी करने का जो संकल्प संख्या 1 दिनांक 20.09.2018 पारित किया गया है वह बिना विधिक प्रक्रिया, दस्तावेजी सबूत एवं संदिग्ध प्रक्रिया द्वारा पारित किया गया है जो काबिल खारिज है। इस प्रकार पुराने कब्जे एवं आधिपत्य के साथ–साथ स्वामित्व दस्तावेजों के अभाव में ग्राम पंचायत बड़नावा जागीर द्वारा अनियमित, अविधिक एवं अपूर्ण कार्यवाही के द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव सं. 1 दिनांक 20.09.2018 एवं उसके अनुसरण में की गई कार्यवाही निरस्त योग्य है।

6. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत यह निगरानी प्रार्थना–पत्र जांच एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:40:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

परीक्षण उपरांत स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी ग्राम पंचायत बड़नावा जागीर द्वारा दिनांक 20.09.2018 को पारित संकल्प संख्या 1 के अनुसरण में जारी पट्टा सं. 78 एवं उससे संबंधित पंचायत की कार्यवाही को निरस्त किया जाता है।

7. निर्णय आज दिनांक 20.12.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2023.01.02 15:40:13 IST
Reason: SelfAttested